




25.7.19 पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित नहीं  
कई बार आवाज दिलवाई गई फिर भी वादी वकील  
एवं वादीगण में से कोई भी उपस्थित नहीं है अतः  
यह दावा अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज  
किया जाता है पत्रावली फैसल नुमा होकर नम्बर से  
दम होकर दाखिल दफ्तर हो।

  
उप जिला कलक्टर  
मेडाभीम (करोली)